हेमराज बनाम मधु

अपील संख्या : 2022/ 270

21.11.2022

पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2022 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है । बहस एडमिशन पर सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के दर्ज धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली संख्या 83/2022 जेरकार है जिसमें दिनांक 25.08.2022 को प्रतिवादी क्रम 10 की ओर से अण्डरटेकिंग दी गई जो उक्त अपील में अपीलान्ट है एवं दिनांक 13.09.2022 को प्रतिपक्षी क्रम 2 लगायत 4 एवं 6 लगायत 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया और उसी रोज प्रार्थी ने भी एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी क्रम 09 की मृत्यु हो गई है उसके कायममुकाम बनाये जावें । उसके बाद दिनांक 30.09.2022 व 13.10.2022 को मोहर लगाकर तारीख दी गई । दिनांक 20.10.2022 को अप्रार्थी अपीलान्ट ने आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.11.2022 वास्ते जवाब नियत की गई । उक्त प्रकरण में ही पर भी रास्ता खुलासा करने का कोई आदेश नहीं है । प्रार्थीगण जो उक्त अपील में अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट हैं को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी है कि आराजी खसरा नम्बर 230 खातेदारी की भूमि है जिसमें फसल थी तथा अमरूद आदि के पेड पौधे लगे हुए हैं । उक्त आराजी में होकर कभी रास्ता नहीं रहा है । अदालत से नियमित कार्यवाही में कोई आदेश नहीं होते हुए भी गुपचुप तरीके से मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी कोटा से दिनांक 20.10.2022 को यह कहते हुए कि धारा 251 (ए) के तहत प्रकरण विचाराधीन है व रास्ता पूर्व से ही चले आने से रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट न करने हेतु आदेश करवा कर पृथक से बाला–बाला पत्र जारी करवा लिया जो कानून के प्रावधानों के विपरीत है । तहसीलदार द्वारा एक कदम आगे जाकर प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी प्रावधानों एवं रिकॉर्ड एवं वास्तविक तथ्यों से परे होने से काबिल निरस्तनीय है । धारा 251 (ए) में कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं हो और रास्ते के बिना काश्तकार परेशान हो रहा हो तभी खातेदार की भूमि में नियमानुसार सुनवाई उपरान्त मुआवजा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कोई नया रास्ता बनाया जा सकता है किन्तु रेस्पोडेन्ट ने गुपचुप तरीके से उक्त आदेश पारित करवाया है । उक्त आदेश न्यायिक आदेश की श्रेणी में आता है क्योंकि उक्त आदेश परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा के रूप में जारी है । यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया में जारी ही है क्योंकि इस आदेश में परीक्षण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) को आधार बनाया गया है । उन्होंने अपने

पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2016 पेज 338 आरबीजे 2017 पेज 687, आरआरडी 1990 पेज 335 उद्वरत की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधी आदेश का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में कथन किया है कि, "चूँकि रास्ता पूर्व से ही चला आ रहा है एवं प्रकरण न्याालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के तहत विचाराधीन है इसलिए तहसील रिपोर्ट के आधार पर उक्त वाद में निस्तारण तक उक्त रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई रूकावट नहीं करें ।" इस भाषा से यह प्रतीत होता है कि उक्त आदेश जारी करते हुए परीक्षण न्यायालय में जो न्यायिक प्रकरण लम्बित है तथा प्रकरण में रिर्पोट प्राप्त की गई है, उसको आधार बनाकर आदेश जारी किया गया है । अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण को सुना गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है । क्योंकि पक्षकारान के मध्य रास्ते सम्बन्धी विवाद परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (ए) के तहत विचाराधीन है । धारा 251 (ए) में कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं हो और रास्ते के बिना काश्तकार परेशान हो रहा हो तभी खातेदार की भूमि में नियमानुसार सुनवाई उपरान्त मुआवजा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही कोई नया रास्ता बनाया जा सकता है । परीक्षण न्यायालय को विचाराधीन प्रकरण पर दोनों पक्षकारान को सुनकर अंतिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिए । यदि किसी प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जाता है तो उसमें उभयपक्षकारान को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्ररकण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर उभयपक्षकारान को सुनवाई कर शीघ्र अंतिम रूप से निरस्तारण करें । धारा 251 (ए) के परिप्रेक्ष्य में दोहरे आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.11.2022 को अथवा परीक्षण न्यायालय में यदि कोई तिथि इससे पूर्व ही निश्चित है तो उस तिथि को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों । अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा